अनुलग्नक - XIV

लेखकों के लिए दिशा-निर्देश

प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1 : मुझे अपने प्रस्ताव के साथ और क्या दस्तावेज़ संलग्न करने चाहिएं?

उत्तर : आपके प्रस्ताव में किन्हीं दो नमूना अध्यायों के साथ एक सारांश व अध्याय की रूपरेखा सम्मिलित होनी चाहिए। लघु कथाओं तथा निबंधों के लिए कृपया पांच नमूना कथाओं और/या निबंधों के साथ संग्रह का सारांश भेजें।

प्रश्न 2 : यदि मेरी पांडुलिपि अस्वीकृत हो जाती है, तो क्या वह वापस कर दी जाएगी?

उत्तर : कृपया अपनी पांडुलिपि की एक प्रति अपने पास अवश्य रखें क्योंकि आपके द्वारा भेजी गई पांडुलिपि को वापस नहीं किया जाता है।

प्रश्न 3 : मैं अपने प्रस्ताव के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपसे किस प्रकार संपर्क कर सकता/सकती हूँ?

उत्तर : यदि आपके प्रस्ताव/पांडुलिपि पर प्रकाशन के लिए विचार किया जाता है, तो न्यास द्वारा आपको ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित पुस्तकमाला के संपादक से संपर्क कर सकते हैं।

प्रश्न 4 : किसी पांडुलिपि पर प्रकाशन के लिए विचार करने में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को कितना समय लगता है?

उत्तर : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के मानदंडों के अनुसार पांडुलिपि की सर्वप्रथम आंतरिक समीक्षा की जाती है और यदि आवश्यक हो तो पांडुलिपि को समीक्षा के लिए विषय विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है। विशेषज्ञ की समीक्षा प्राप्त होने के पश्चात ही उसके प्रकाशन के संबंध में निर्णय लिया जाता है। इसके पश्चात लेखक को इसकी सूचना दी जाती है। आंतरिक एवं बाह्य समीक्षा की प्रक्रिया में 8 से 16 सप्ताह तक का समय लग सकता है।

प्रश्न 5 : यदि पांडुलिपि स्वीकार एवं प्रकाशित की जाती है, तो क्या उसका अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा?

उत्तर : किसी पुस्तक का अनुवाद सीधे उसके लेखक के साथ विशिष्ट प्रतिलिप्याधिकार व्यवस्था से संबद्ध होता है तथा वह भाषा सलाहकार पैनल/विशेषज्ञों/संपादकों की संस्तुति पर आधारित होता है।

प्रस्ताव/पांडुलिपि कैसे प्रस्तुत की जाए

1. 10 पृष्ठ से कम की पांडुलिपि को ई-मेल द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। परंतु 10 से अधिक पृष्ठ की पांडुलिपि की हार्ड प्रति को निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज़-II, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070; ई-मेल: director@nbtindia.gov.in को संबंधित करते हुए डाक द्वारा प्रेषित किया जाए।

2. कृपया अपने प्रावरण पत्र पर उस पुस्तकमाला के नाम का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत आप अपना लेखन प्रस्तुत कर रहे हैं। उस पुस्तकमाला के विवरण www.nbtindia.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

पूर्ण पांडुलिपि डबल स्पेस में टंकित की हुई हो एवं पृष्ठ भी क्रमांकित हों। तथापि प्रारंभ में सारांश, अध्याय योजना और एक अथवा दो नमूना अध्याय प्रेषित किया जाना उपयुक्त होगा।

सामान्य दिशानिर्देश

1. पांडुलिपि को प्रेषित करने से पहले, कृपया ध्यान दें

(क) क्या लेखन कार्य को रा.पु.न्यास द्वारा प्रकाशित किया गया है?

(ख) क्या लेखन कार्य को किसी अन्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किया गया है?

2. कृपया अपनी पांडुलिपि की एक प्रति अपने पास रखें क्योंकि उसे वापस नहीं किया जाता है। पांडुलिपि की स्वीकृति/अस्वीकृति से संबंधित सूचना ई-मेल के माध्यम से भेजी जाती है। कृपया अपने प्रस्ताव में अपने ई-मेल एवं संपर्क नंबर का भालिभांति उल्लेख करें।

हमारा अधिदेश

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह वर्ष 1957 में स्थापित हुआ था। यह एक पेशेवर संगठन है जो देश में पुस्तकों एवं पठन की आदत के प्रोन्नयन के उद्देश्य से काम कर रहा है। हम समाज के सभी खंडों और बच्चों, युवा वयस्कों और सामान्य पाठकों सहित सभी आयु-समूहों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करते हैं।

प्रकाशन से संबंधित हमारा संक्षिप्त परिचय

हम विस्तृत प्रकार यथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, जीवनियाँ और आत्मकथाएं, नव-साक्षरों और बच्चों के लिए पुस्तकें, भारत की भूमि और लोगों के मध्य से रचनात्मक अधिगम के लिए सभी भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। प्रकाशन से संबंधित हमारे विस्तृत परिचय हेतु कृपया www.nbtindia.gov.in पर जाएं और सूचीपत्रों के माध्यम से अवलोकन करें।

हम प्रकाशित नहीं करते हैं

हम समस्त आयु-वर्ग के पाठकों के लिए समकालीन पद्य प्रकाशित नहीं करते हैं। हम समकालीन उपन्यासों और नाटकों को भी प्रकाशित नहीं करते हैं। तथापि हम अधिकृत संग्रहों में चुनिंदा कहानियाँ एवं निबंध प्रकाशित करते हैं। प्रमुख उपन्यास एवं प्रमुख लेखकों के नाटक आदान-प्रदान श्रृंखला के अंतर्गत अनुवाद रूप में प्रकाशित किए जाते हैं।

सामान्य दिशा-निर्देश

3. पांडुलिपि प्रस्तुत करने की अवधि वर्ष में तीन बार यथा 1 से 30 अप्रैल तक; 1 से 30 सितंबर तक और 1 से 31 दिसंबर तक खुलती हैं। केवल उस अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों/पांडुलिपियों को प्रथिमकता दी जाती है।

4. पांडुलिपि/प्रस्ताव की प्राप्ति सूचना ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी।

5. प्राप्त पांडुलिपियाँ/प्रस्तावों की विषयवस्तु की आंतरिक समीक्षा हेतु पुस्तकमाला के संपादक को आवंटित किए जाते हैं। आंतरिक समीक्षा के पश्चात पांडुलिपि को समीक्षा हेतु विषय विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है। समीक्षक की समीक्षा प्राप्त हो जाने के पश्चात लेखक को उससे अवगत करवाया जाता है।

प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 6 : यदि मेरा प्रस्ताव एक बार अस्वीकृत कर दिया गया है तो क्या मैं वही प्रस्ताव पुन: भेज सकता/सकती हूँ?

उत्तर : एक बार अस्वीकार किए गए प्रस्ताव पर प्रकाशन के लिए पुन: विचार नहीं किया जाएगा।

प्रश्न 7 : क्या मैं अपना प्रस्ताव राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को प्रस्तुत करने के पश्चात कहीं और भी भेज सकता/सकती हूँ?

उत्तर : यदि आपने कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को प्रस्तुत किया है, तो आपको यह सुझाव दिया जाता है कि उसी प्रस्ताव को किसी अन्य प्रकाशन गृह को विचार के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए। चूंकि एक ही साथ कई प्रकाशन गृहों में विचार के लिए प्रस्तुत की गई पांडुलिपि को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए कृपया यह सूचित करते हुए एक दावा त्यागपत्र (डिस्क्लेमर) संलग्न करें कि यह प्रस्ताव किसी अन्य प्रकाशन गृह को प्रस्तुत नहीं किया गया है।